

increase in wages, variable dearness allowance, ex-gratia payment, cost of stores, power rates, interest and depreciation.

(c) Steps are being taken to effect economies wherever possible and to increase the productivity.

(d) No Sir.

Codes for the Army, Navy and Air Force

5712. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Army, Navy and Air Force are governed under Separate codes;

(b) if so, whether Government propose to have these three services under a uniform code; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) Yes, Sir. The Army Act, 1950, the Air Force Act, 1950, and the Navy Act, 1957, respectively.

(b) Yes, Sir. A draft Unified Code has been compiled and is under scrutiny in consultation with the three Services HQ.

(c) The draft Unified Code has 242 Sections dealing broadly with 'conditions of service', 'offences', 'punishments', 'courts-martial', 'disposal of private property of deceased, deserters or missing persons', 'Inquiries', 'Judiciary of the Armed Forces' and 'power to make regulations'.

Diversion of Routes of National Highways

5713. SHRI SURYA NARAYAN SINGH: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are considering the proposal for diversion of

routes of National Highways in order to cover more areas specially backward areas, which have not been covered by any Highways;

(b) if so, whether Government also propose to consider the diversion of National Highway at present passing through M.P. upto Allahabad from Ambikapur via District Sidhi of the State and then to Allahabad;

(c) if so, whether the diversion of route of this Highway will serve twin purpose, covering backward District of Sidhi and shortening the distance upto Allahabad by about 150 KM; and

(d) if so, reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में कच्चे रंग के प्रयोग का निबंध

5714. श्री राम सागर: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने वाली कपड़ा मिलों द्वारा कच्चे रंग का प्रयोग किये जाने का निबंध करने के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने कपड़े पर अधिकतम मूल्य के साथ-साथ न्यूनतम मूल्य दशानि की पद्धति चालू रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा भयती): (क) कन्दोल का कपड़ा बनाने वाली किसी भी मिल को सीधे ही रंग (कच्चा रंग) का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

(ख) कपड़े पर न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों की मुहर लगाने की कोई आवश्यकता

सरकार द्वारा उद्योग के लिये विहित नहीं की गई है। ग्राहक मूल्य की मुहर (मिल से निकलते समय का मूल्य तथा उत्पादन, चुंबी आदि) केवल गैर नियंत्रित कपड़े पर लगायी जाती है। गैर नियंत्रित किस्म के कपड़े पर उद्योग को केवल मिल से निकलते समय के मूल्य तथा उत्पादन मुल्क की मुहर लगानी पड़ती है। अतएव कपड़े पर साथ ही साथ न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों को दक्षिण का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण नियम के तहत मध्य प्रदेश के लिए अनिर्णीत पड़ो ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

5715. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण नियम के कार्यालय में रीवा, सिधौ, शाहदोल, सरजुजा, पन्ना और सतना जैसे मध्य प्रदेश के अत्यधिक पिछड़े हुए जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण की बहुत सी योजनाएं गत दो वर्षों से अनिर्णीत पड़ी हैं तथा क्या ग्रामीण विद्युतीकरण नियम के अधिकारियों ने कई महीने पहले इन स्थलों का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया था और यदि हां, तो इन योजनाओं को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश के रीवा जिले के संवेव जावा, हनुमान और सिरमौर बंध्योन्वार ब्लॉक की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण नियम ने पिछड़े कई महीनों से अन्तिम रूप से स्वीकृति नहीं दी है और यदि हां, तो उनकी क्रियान्विति कब तक प्रारम्भ की जाएगी ;

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० राजकमल) :

(क) इस समय केवल दो स्कीमें—एक रीवा जिले के लिए तथा दूसरी सतना जिले के लिए, स्वीकृति हेतु अनिर्णीत पड़ी हैं। रीवा जिला को स्कीम विद्युत् बोर्ड द्वारा संशोधित किए जाने के उपरांत नियम को फरवरी, 1978 में प्राप्त हुई थी। सतना जिला की

स्कीम में संशोधन करके विद्युत् बोर्ड ने यह स्कीम अभी तक निगम को नहीं लौटाई है।

(ख) गंगेय खण्ड की स्कीम, विद्युत् बोर्ड द्वारा संशोधित किए जाने के बाद फरवरी, 1978 में निगम को प्राप्त हुई थी।

मैहर खण्ड में गांवों के विद्युतीकरण की स्कीम, संशोधन के बाद, विद्युत् बोर्ड से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

Manufacture of Cycle Tyres and Tubes in Small Scale Sector

5716. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether cycle tyres and tubes have been reserved for manufacture in the small-scale sector;

(b) the total production of these items in the small-scale sector and the large-scale sector during the last 3 years;

(c) whether the large-scale industries are utilising the loop-holes in the Industrial Development and Regulation Act, 1951; and

(d) if so, whether Government are considering proposals to amend the said Act to protect the interest of the small scale industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI-MATI ABHA MAITI): (a). Yes Sir.

(b). Large Scale:

The value of production of tyres and tubes during the last three years has been as under:—

Year	Tyres value in Rs. lakhs	Tubes value in Rs. lakhs
1975	2248.65	694.47
1976	2462.59	768.31
1977	3030.96	806.28